न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

प्रकरण सं.: 83/दावा/2009

1. जीवण आयु 60 साल } पुत्रगण सेवाराम
2. लिछमण आयु 50 साल }
3. हणमान आयु 45 साल }
4. कज्जू आयु 40 साल }
5. मु. पतासी बेवा भूरा आयु 45 साल
6. बजरंग पुत्र भुरा आयु 16 साल जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता पतासी देवी बेवा भुरा
7. मु. कानी बेवा भगलाराम आयु 55 साल
8. हरदेवा पुत्र भागलाराम आयु 35 सा
9. छोगाराम पुत्र भागलाराम आयु 30 साल
10. गंगाराम आयु 60 साल } पुत्रगण हरबक्सा
11. नारायण आयु 55 साल }
12. रामचन्द्र आयु 45 साल }
13. रामदेवा आयु 55 साल } पुत्रगण धन्नाराम
14. मोहन आयु 48 साल }

समस्त जाति जाट निवासीगण सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीगण

ब ना म

1. भुराराम आयु 65 साल } पुत्रगण नानगा
2. जोधाराम आयु 60 साल }
3. हरदेवाराम आयु 50 साल }
4. गंगाराम आयु 58 साल }
5. मुंगाराम आयु 46 साल }

समस्त जाति जाट निवासीगण सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल आबाद बोबास तहसील सांभर जिला जयपुर

6. मु. लच्छी बेवा हीराराम आयु 60 साल
7. बजरंगलाल पुत्र स्व. हीराराम आयु 27 साल

निवासीगण सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल आबाद बोबास तहसील सांभर जिला जयपुर

8. मुन्नी पुत्री हीराराम पत्नी छोटूराम आयु 30 साल जाति जाट नि. सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल आबाद ढाकावाला तहसील सांभर जिला जयपुर
9. मीरा पुत्री हीराराम पत्नी श्री हीराराम आयु 25 साल जाति जाट नि. सुरेरा हाल आबाद भोजपुरा तहसील सांभर जिला जयपुर
10. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, रिकार्ड संशोधन व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

1. श्री नंदलाल धायल वकील वादीगण की ओर से
2. श्री महेन्द्र कुमार बुरड़क वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 9 की ओर से

निर्णय दिनांक— 08.12.2014

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है यह कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 588 रकबा 2.50 है0, 589 रकबा 0.57 है0 किता 2 कुल रकबा 3.07 है0 (जिसके पुराने खसरा नं. 266 मि. रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा) वाके ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। दावा की मद सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात वादीगण के खातेदारी काश्तकारी में है उक्त विवादित कृषि भूमि के पूर्व खातेदार नानगा पुत्र लच्छा द्वारा जरिये विकय पत्र दिनांक 04.08.1986 को उप पंजीयक, दांतारामगढ के यहां पंजीकृत करवा लिया है। विवादित कृषि भूमि से पूर्व खातेदार नानगा पुत्र लच्छा द्वारा अपना कब्जा शून्य कर वादीगण को कब्जा सौंपा देने से लगातार वादीगण ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं वादीगण ही उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। पूर्व खातेदार नानगा के समस्त हक व अधिकार जो प्राप्त थे दिनांक 04.08.1986 को वादीगण को बेचान करने से समस्त हक व अधिकार वादीगण को प्राप्त हो गये है इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि पर पूर्व खातेदार के उतराधिकारीगण को विकय कर देने से किसी प्रकार हक व अधिकार विवादित कृषि भूमि में नहीं है। कानूनन भी विकय कर देने से विकेता के हक व अधिकार केता को प्राप्त हो जाते है। दावा की मद सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि पर दिनांक 04.8.1986 से लगातार वादीगण की कब्जा काश्त का ईल्म प्रतिवादीगण को है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं दी इस कारण भी वादीगण को कोई बहम होने का प्रश्न नहीं था एवं वादीगण वैध दस्तावेज से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विवादित कृषि भूमि पर वादीगण लगातार 22 सालों से काबिज होकर काश्त कर रहे है एंव वादीगण उक्त कृषि भूमि पर प्रकट रूप से निर्विवाद काश्त करते आ रहे है एवं वादीगण के पक्ष में पूर्व खातेदार द्वारा विकय पत्र पंजीकृत करवा देने से उक्त भूमि पर खोदार काश्तकारी अधिकार परिपक्व हो चुके है एवं वादीगण का पतिकूल कब्जा के आधार पर भी काश्तकारी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है यह प्लीड वैकल्पिक ली गई है इस कारण भी वादीगण खोदारी की उद्घोषणा के अधिकारी है। विवादित भूमियों के पूर्व खातेदार नानगा द्वारा वादीगण को विकय पत्र द्वारा दिनांक 04.08.1986 को होने एवं कब्जा काश्त वादीगण को संभला देने से लगातार कब्जा काश्त वादीगण की होने से विवादित भूमि पर वादीगण के अधिकार परिपक्व हो चुके है इस प्रकार वादीगण का विवादित भूमि पर हक व अध्किार परिपक्व हो जाने से वादीगण अपने हक व अधिकार की उद्घोषणा करवाने के अधिकारी हो जाने से यह दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकाड संशोधन का लाया जाना लाजिम आया है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि का विकय पत्र हो जाने से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतु सक्षम अधिकारियों को पेश किया गया इस प्रकार वादीगण इससे आश्वस्त हो गये कि उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया होगा परन्तु प्रतिवादीगण चालाक एवं राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति होने से उक्त विकय पत्र का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने दिया। उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का ही नाम चला आ रहा है जबकि कानूनन राजस्व रिकाड में वादीगण का नाम अमल दरामद होना चाहिए था जब प्रतिवादीगण अपने नाम गलत खातेदारी की आड़ में वादीगण को हैरान व परेशान करने की कुचेष्टा रखते है। अभी हाल ही में जब वादीगण उक्त विवादित कृषि आराजियात पर थे तो प्रतिवादीगण ने आकर धमकी दी कि उक्त कृषि भूमियां तो हमारे नाम से है। हम तुम्हें बेदखल करेंगे इस पर आपसी विवाद की स्थिति में आस पड़ौस के व्यक्तियों द्वारा समझाइस पर उस समय तो प्रतिवादीगण चले गये परन्तु जाते समय धमकी दी कि हमारे नाम राजस्व

रिकार्ड में खातेदारी है हम इस भूमि को किसी बदमाश किस्म के व्यक्तियों को बेचान कर देंगे और तुम लोगों को बेदखल करेंगे जबकि प्रतिवादीगण को इसका कोई हक व अधिकार नहीं है अगर प्रतिवादीगण सहवन से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद रह जाने से कथित खातेदारी की आड़ में विवादित भूमि का अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरण करने एवं वादीगण को बेदखल करने में कामयाब हो गये तो वादीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा। वादीगण के विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ एवं सांपतिक अधिकारों की सुरक्षार्थ यह दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का लाया जाना लाजिम आया है। वादीगण के स्वामित्व हक व अधिकार की विवादित कृषि भूमियों पर प्रतिवादीगण बिना हक व अधिकार के खुर्द बुर्द करने एवं वादीगण की कब्जा काश्त में दखल देने से एवं वादीगण को बेदखल करने की धमकियां देने से वाद कारण पैदा हुआ है जो निरंतर जारी है। अंत में यह इश्तदुआ चाही गई है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण उद्घोषणा इस कदर की फरमाई जावें कि दावा की मद सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात में पूर्व खातेदार के द्वारा वादीगण के पक्ष में दिनांक 04.08.1986 को विधिवत विकय कर विकय पत्र उप पंजीयक, दांतारामगढ के यहां पर तस्दीक करवा देने से वादीगण के पक्ष में खातेदारी काश्तकारी की उद्घोषणा की जानी प्रार्थनीय है। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की इस कदर फरमाई जावें कि दावा की मद सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात से वादीगण को बेदखल करने से एवं कथित राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज से प्रतिवादीगण विवादित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने, विकय करने या अन्य किसी प्रकार हस्तांतरित करने से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना प्रार्थनीय है। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण आदेशात्मक व्यादेश की इसस कदर फरमाई जावें कि वादीगण के पक्ष में दावा की मद सं. 1 की भूमि के पूर्व खोदार द्वारा दिनांक 04.08.1986 को विकय कर देने से हक व अधिकार हस्तांतरण कर देने से प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज को हटाकर वादीगण का नाम दर्ज करने हेतु ना.करण वादीगण के पक्ष में तस्दीक किये जाने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

2. वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं.10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 9 जरिये वकील श्री महेन्द बुरड़क उपस्थित हुए एवं इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत उनवानी दावा वादीगण के पक्ष में डिक्री फरमाया जावें।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 04.08.1986 को वादीगण एवं उनके पूर्वज द्वारा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 के पूर्वजों से विवादित आराजियात ख.नं. 266 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा संपूर्ण (जिसके हाल खसरा नं. 598, 599 किता 2 कुल रकबा 3.07 है0 वाके ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर कय की गई थी जिसका राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नहीं हो सका है उक्त भूमियों की वादीगण के नाम उद्घोषणा फरमायी जावें तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 के नाम को हजफ फरमाया जावें। इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण ने बहस के दौरान इकबालिया जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विकय पत्र दिनांक 04.08.1986 के आधार पर वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने में कोई आपति नहीं है।
4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषक गण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। विकय पत्र दिनांक

04.08.1986 के द्वारा नानगा पुत्र लच्छा निवासी सुरेरा द्वारा विवादित आराजियात ख. नं. 266 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ का बेचान जीवण, भुरा, लिछमण, हणमान, कज्जू पुत्रगण सेवाराम जाति जाट नि. सुरेरा हि. 1/4, भगलाराम, गंगाराम, नारायण, रामचन्द्र पुत्रगण हरबक्सा जाति जाट हि. 1/2 व रामदेवा, मोहन पुत्रगण धन्नाराम जाति जाट हि. 1/4 निवासीगण सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को किया गया है जिसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नं. 598 रकबा 2.50 है0 व खसरा नं. 599 रकबा 0.57 है0 बने है जिसकी खातेदारी विकेता नानगा पुत्र लच्छा के वारिसान भूराराम, जोधाराम, हीराराम, गंगाराम, हरदेवाराम मूंगाराम पि. नानगा जाति जाट सा.देह के नाम चली आ रही है उक्त विकय पत्र का अमल दरामद नहीं हुआ है पटवारी हल्का, सुरेरा की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर रामदेवा, मोहन पुत्रगण धन्नाराम, जीवण, लिछमण, हणमान, कज्जू पुत्रगण सेवाराम, बजरंग पुत्र भूरा, हरदेवा, छोगाराम पि. भागलाराम, गंगाराम, नारायण, रामचन्द्र पुत्रगण बक्सा जाति जाट काश्त करना बताया है तथा मौके पर काबिज है एवं भूरा तथा भागलाराम फौत हो चुके है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात ख.नं. 266 जिसके वर्तमान खसरा नं. 598 व 599 किता 2 कुल रकबा 3.07 है0 बने है जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार कयकर्ता एवं उनके वारिसान वादीगण काबिज काश्तकार है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त विकय पत्र दिनांक 04.08.1986 को निरस्तीकरण की कार्यवाही की हो, का दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है बल्कि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 द्वारा इकबालिया जवाब देकर वादीगण के नाम अमल दरामद किये जाने में अनापति व्यक्त की गई है। उपरोक्त विवरणानुसार वादीगण की विवादित आराजियात पर कब्जे काश्त है एवं इनका विकय पत्र दिनांक 04.08.1986 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है जो किया जाना विधिसम्मत है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि विवादित आराजियात खनं. 266 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा जिसके वर्तमान ख.नं. 598 रकबा 2.50 है0 व 599 रकबा 0.57 है0 किता 2 कुल रकबा 3.07 है0 की खातेदारी विकय पत्र दिनांक 04.08.1986 के अनुसार कयकर्ता एवं उनके वारिसान वादीगण के नाम खातेदारी उद्घोषणा किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं विकय पत्र दिनांक 04.08.1986 अनुसार विकेता नानगा पुत्र लच्छा एवं उनकी मृत्यु पर उनके वारिसान के नाम राजस्व अभिलेख में अंकन हो, का हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो। तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 08.12.2014 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

प्रकरण सं.: 83/दावा/2009

1. जीवण आयु 60 साल } पुत्रगण सेवाराम
2. लिछमण आयु 50 साल }
3. हणमान आयु 45 साल }
4. कज्जू आयु 40 साल }
5. मु. पतासी बेवा भूरा आयु 45 साल
6. बजरंग पुत्र भुरा आयु 16 साल जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता पतासी देवी बेवा भुरा
7. मु. कानी बेवा भगलाराम आयु 55 साल
8. हरदेवा पुत्र भागलाराम आयु 35 सा
9. छोगाराम पुत्र भागलाराम आयु 30 साल
10. गंगाराम आयु 60 साल } पुत्रगण हरबक्सा
11. नारायण आयु 55 साल }
12. रामचन्द्र आयु 45 साल }
13. रामदेवा आयु 55 साल } पुत्रगण धन्नाराम
14. मोहन आयु 48 साल }

समस्त जाति जाट निवासीगण सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीगण

ब ना म

1. भुराराम आयु 65 साल } पुत्रगण नानगा
2. जोधाराम आयु 60 साल }
3. हरदेवाराम आयु 50 साल}
4. गंगाराम आयु 58 साल }
5. मुंगाराम आयु 46 साल }

समस्त जाति जाट निवासीगण सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल आबाद बोबास तहसील सांभर जिला जयपुर

6. मु. लच्छी बेवा हीराराम आयु 60 साल
7. बजरंगलाल पुत्र स्व. हीराराम आयु 27 साल

निवासीगण सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल आबाद बोबास तहसील सांभर जिला जयपुर

8. मुन्नी पुत्री हीराराम पत्नी छोटूराम आयु 30 साल जाति जाट नि. सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल आबाद ढाकावाला तहसील सांभर जिला जयपुर
9. मीरा पुत्री हीराराम पत्नी श्री हीराराम आयु 25 साल जाति जाट नि. सुरेरा हाल आबाद भोजपुरा तहसील सांभर जिला जयपुर
10. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, रिकार्ड संशोधन व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

1. श्री नंदलाल धायल वकील वादीगण की ओर से
2. श्री महेन्द्र कुमार बुरड़क वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 9 की ओर से

निर्णय दिनांक— 08.12.2014

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

जीवण आदि बनाम भूरा आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 83/दावा/2009 निर्णय दिनांक 08.12.2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड़ आरएएस बहाजरी श्री नंदलाल धायल वकील मिनजानिब मुद्दई महेन्द्र बुरड़क मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि विवादित आराजियात खनं. 266 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा जिसके वर्तमान ख.नं. 598 रकबा 2.50 है0 व 599 रकबा 0.57 है0 किता 2 कुल रकबा 3.07 है0 की खातेदारी विकय पत्र दिनांक 04.08.1986 के अनुसार कयकर्ता एवं उनके वारिसान वादीगण के नाम खातेदारी उद्घोषणा किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं विकय पत्र दिनांक 04.08.1986 अनुसार विक्रेता नानगा पुत्र लच्छा एवं उनकी मृत्यु पर उनके वारिसान के नाम राजस्व अभिलेख में अंकन है, को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो। तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 दिसम्बर, सन् 2014 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत
ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकायलतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	6	00			
मीजान	11	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।